**न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)**
पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 104 /2021 राजस्व वाद
देवा पुत्र श्री जग्गु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)—— प्रतिवादी

**वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती**
**वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार ––प्रतिवादी

**:: निर्णय ::** दिनांक–07.02.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 46 मे से 02 दो बीघा 10 दस बिस्वा भूमि आवंटन की गयी। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित भूमि के बाद आंवटन आराजी नम्बर 287/46 दौ सौ सत्यासी/छियालीस रकबा 02 दो बीघा 10 दस बिस्वा भूमि कायम हुए है व वादी उक्त भूमि पर आवंटन की दिनांक से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के नाम पर उक्त भूमि खातेदारी हक अधिकार से दर्ज की गयी व राजस्व नक्शे मे भी तरमीम की गयी। दिनांक 04 चार अगस्त 2021 दो हजार इक्कीस को पटवार हल्का द्वारा भी नकल उक्त नम्बर की जारी की गयी। दिनांक 01 जुलाई 2021 को लोगो द्वारा वादी के नाम पर ऑनलाईन रेकार्ड मे वादी के नाम पर भूमि दर्ज नही होने व भूमि ऑन लाईन बिलानाम दर्ज होने से बेदखल करने की धमकी दी गयी। इस पर वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की गयी तो वादी को जानकारी मे आया कि आराजी नम्बर 46 मे से वादी को 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन हुई, जो कि वादी के नाम पर नवीन बटा आराजी नम्बर 287/46 दौ सौ सत्यासी/छियालीस रकबा 02 दो बीघा 10 दस बिस्वा के रूप मे दर्ज हो राजस्व नक्शे मे तरमीम हुई, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक तरीके से नवीन बटा नम्बर से नवीन नम्बर कायम नही कर मूल आराजी नम्बर 46 के नवीन आराजी नम्बर 61,62, 64,65, 67,68,73,75, 76,79,80 कायम कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये गये। जबकि वादी की खातेदारी हक अधिकार की भूमि भी बिलानाम दर्ज हो गयी है। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना मौके व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये गये , उक्त कार्यवाही की है। सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 287/46 दौ सौ सत्यासी/छियालीस रकबा 02 दो बीघा 10 दस बिस्वा भूमि को सेटलेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीयो द्वारा लापरवाही पूर्वक मूल नम्बर के नवीन आराजी नम्बर 61,62, 64,65, 67,68,73,75, 76,79,80 कायम करते हुए उसमे मिलाकर वादी की भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी, वादी राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त बिलानाम भूमि मे से अपनी 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि के नवीन नम्बर कायम करा, पूर्ववत तरमीम व आंवटन कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड मे तरमीम कराने व 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया व मौ[illegible] पेश की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:07 IST
Reason: SelfAttested

मामले में निम्न विवाधक कायम किए गये:–
1 कि आया वादी को आवंटित सरहद र[illegible] भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे विवादित आराजियात को गलत [illegible] बिलानाम आराजी मे दर्ज की है, जिसे वादी राजस्व रेकार्ड [illegible] अपनी भूमि को अपने [illegible] दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने का अधिकारी है? ——बजिम्मे वादी

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

2 आया प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे मे उठाये गये एतराजो के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ? —— बजिम्मे प्रतिवादी

3 अनुतोष—

प्रकरण मे वादी की ओर से अपने पूर्व मे आंवटित भूमि की जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस व वर्तमान जमाबंदी की नकल दस्तावेजात पेश किये गये, वादी की साक्ष्य स्वरूप वादी का शपथपत्र व स्वतंत्र गवाह के शपथपत्र पेश किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य PW1, PW2 से वादी को भूमि आंवटित होना व प्रदर्श—1 जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 आराजी न. 287/46, प्रदर्श—2 साबिक राजस्व नक्शा, प्रदर्श—3 मिलान खसरा, प्रदर्श—4 नवीन राजस्व नक्शा, जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 खाता सं. 1 प्रदर्श—5 से वादी को भूमि आंवटित होकर खातेदारी होना सिद्ध होता हैं, PW1, PW2 से वादी को आंवटन होना एवं खातेदारी दर्ज होना, एवं कब्जा होना सिद्ध होता है, व पेरोकार सरकार के जवाब व प्रदर्शित दस्तावेज मौका पर्चा 1/5 लगायत 3/5, साबिक नक्शा 4/5 व नवीन नक्शा 5/5, से भूमि बिलानाम दर्ज होना तथा वादी के नम्बरान का नवीन नम्बर दर्ज नहीं होना साबित है, इस प्रकार विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष मे एंव प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष मे सिद्व होने से विवाद्वक संख्या 02 भी वादी के पक्ष मे सिद्व माने जाते है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी की भूमि को वादी के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे वादी को सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 46 मे से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की जाना व भूमि के बाद आंवटन आराजी नम्बर 287/46 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कायम होना व बाद मे उक्त भूमि सेटलेन्ट के दौरान साबिक मूल नम्बर 46 के नवीन आराजी नम्बर 61 ,62, 64, 65, 67, 68, 73, 75, 76, 79, 80 कायम करते हुए उसमे मिलाकर वादी की भूमि को बिलानाम दर्ज करना साबित होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे साबिक मूल आराजी नं. 46 के नवीन आराजी नम्बर 61 ,62, 64, 65, 67, 68, 73, 75, 76, 79, 80 मे से खातेदार की खातेदारी आराजी नं. 287/46 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मौका पर्चा एवं सुपुर्दगीनामें से अंकित पुराने नक्शे संवत् 2009 व नवीन नक्शें संवत् 2065 के मिलान नक्शे के अनुसार आराजी नम्बर 67 रकबा 1.34 हैक्ट. में से 0.5 हैक्ट. तथा आ.न. 68 रकबा 3.78 हैक्ट. मे से रकबा 0.04 हैक्ट. किता 2 रकबा 0.54 हैक्ट. कब्जेशुदा का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व आराजी नम्बर 67 व 68 का वादी के सुपुर्दगीसुदा कब्जे अंनुसार नवीन नम्बर कायम करते हुए राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज कर, भूमि वादी के पूर्ववत सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। [illegible] डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:07 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

## न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

**:: मूल वाद मे डिक्री ::**

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 104 /2021 राजस्व वाद

देवा पुत्र श्री जग्गु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– रलायता तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) – वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) – प्रतिवादी

**वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती**

**वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89,92–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

---

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 07.02.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद रलायता पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे साबिक मूल आराजी नं. 46 के नवीन आराजी नम्बर 61 ,62, 64, 65, 67, 68, 73, 75, 76, 79, 80 मे से खातेदार की खातेदारी आराजी नं. 287/46 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मौका पर्चा एवं सुपुर्दगीनामें से अंकित पुराने नक्शे संवत् 2009 व नवीन नक्शें संवत् 2065 के मिलान नक्शे के अनुसार आराजी नम्बर 67 रकबा 1.34 हैक्ट. में से 0.5 हैक्ट. तथा आ.न. 68 रकबा 3.78 हैक्ट. मे से रकबा 0.04 हैक्ट. किता 2 रकबा 0.54 हैक्ट. कब्जेशुदा का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व आराजी नम्बर 67 व 68 का वादी के सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार नवीन नम्बर कायम करते हुए राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज कर, भूमि वादी के पूर्ववत सुपुर्दगीसुदा कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। इसी अनुसार निर्णय व डिक्री की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

आज दिनांक 07.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30.07 IST
Reason: SelfAttested